ऑस्ट्रेलियाई सरकार यह अध्ययन क्यों संचालित कर रही है?

ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमनोलॉज़ी ऑस्ट्रेलिया में विदेशी छात्रों की सुरक्षा पर एक शोध परियोजना चला रहा है। यह परियोजना ऑस्ट्रेलियाई आबादी की तुलना में विदेशी छात्रों के प्रति घटित अपराध दर की तुलना करेगी। यह शोध सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर अधिक सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा ताकि ऑस्ट्रेलियाई सरकार विदेशी छात्रों को निजी सुरक्षा संबंधित जानकारी देने के लिए एक अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपना सके।

छात्र वीज़ा धारकों (तथा पूर्व छात्र वीज़ा धारकों) के बारे में व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता क्यों है?

ऑस्ट्रेलियाई पुलिस न्यायाधिकार क्षेत्र अपराध के शिकार किसी व्यक्ति की नागरिकता या वीज़ा स्थिति से संबंधित आँकड़े एकत्र नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमनोलॉज़ी के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए आव्रजन और नागरिकता विभाग (DIAC) द्वारा पुलिस को आँकड़े उपलब्ध कराने होंगे, ताकि पुलिस विभाग को अपराध के शिकार विदेशी छात्रों की पहचान करने में मदद मिल सके।

DIAC पुलिस न्यायाधिकार क्षेत्रों को क्या जानकारी उपलब्ध कराएगा?

DIAC पुलिस को छात्र वीज़ा धारकों के नाम, जन्मतिथि और साथ ही उनकी 'Person ID' उपलब्ध कराएगा।

'Person ID' क्या है?

'Person ID' एक अनन्य (unique) नम्बर है जिसे DIAC तंत्र द्वारा किसी छात्र वीज़ा धारक को आवंटित किया जाता है।

पुलिस न्यायाधिकार क्षेत्र इस व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग किस प्रकार करेंगे?

पुलिस ऐसी घटनाओं की सूची प्राप्त करने के लिए अपने अभिलेखों में जानकारी का प्रति-मिलान करने हेतु DIAC के आँकड़ों का उपयोग करेगी, जिनमें अपराध के शिकार विदेशी छात्र थे। व्यक्तिगत जानकारी से युक्त इन आँकड़ों को बाद में नष्ट कर दिया जाएगा। DIAC के आँकड़ों से मिलान होने पर पुलिस ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमनोलॉज़ी को केवल 'Person ID' उपलब्ध कराएगी, छात्र का नाम नहीं। अपराध के शिकार व्यक्ति के 'Person ID' के साथ ही वे अपराध की प्रकृति सहित कुछ विवरण उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वे ऐसा कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराएंगे जिससे त्रस्त व्यक्ति की अनन्य रूप से पहचान की जा सकती हो।

DIAC ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमनोलॉज़ी को किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएगा?

DIAC ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमनोलॉज़ी को संबंधित विवरण के 'Person ID' की एक सूची उपलब्ध कराएगा - जैसे नागरिकता का देश, वीज़ा का प्रकार तथा ऑस्ट्रेलिया में रहने की अवधि। उसके बाद पुलिस न्यायाधिकार क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई घटनाओं की सूचियों से 'Person ID' का मिलान किया जाएगा।

व्यक्तिगत आँकड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस बात का ध्यान रखा जाएगा?

सभी राज्य और क्षेत्रीय पुलिस एजेंसियाँ तथा ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमनोलॉज़ी राष्ट्रमंडल गोपनीयता कानून एवं किसी व्यक्तिगत जानकारी को संकलित, संग्रहित, उपयोग, नष्ट तथा प्रयोग करने सहित सार्वजनिक क्षेत्र में सभी व्यक्तिगत सूचनाओं के प्रबंधन से संबंधित राज्य एवं क्षेत्रीय दिशा-निर्देशों के लिए जिम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमनोलॉज़ी द्वारा उपयोग की गई किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित नहीं की जाएगी। परियोजना समाप्त होने पर DIAC द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी व्यक्तिगत आँकड़े नष्ट कर दिए जाएंगे।

अध्ययन के लिए इन देशों के विदेशी छात्रों को ही क्यों चुना गया?

1 जुलाई 2004 के बाद से चीनी जनवादी गणराज्य, भारत, कोरिया गणराज्य, मलेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ही पाँच ऐसे सबसे बड़े राष्ट्र हैं जहाँ से अध्ययन के लिए सबसे अधिक संख्या में छात्र ऑस्ट्रेलिया आए हैं। इन पाँच देशों के छात्र ऑस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिमनोलॉज़ी को स्थानीय जनता की तुलना में विदेशी छात्रों के प्रति घटित हुए अपराधों के बारे में उपयोगी निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में आँकड़े उपलब्ध कराएंगे।

यदि किसी को छात्र वीज़ा का उल्लंघन करते हुए या कोई अपराध करते हुए पाया जाए, तो क्या होगा?

पुलिस DIAC से मेल खाते आँकड़ों को नहीं लौटाएगी, इसलिए DIAC पुलिस तंत्र के संघटित आँकड़ों को फिर से अपने तंत्र के संघटित व्यक्तिगत आँकड़ा अभिलेखों से संबद्ध नहीं कर सकेगा। पुलिस DIAC के आँकड़ों का मिलान केवल अपराध के शिकार व्यक्तियों की सूचियों के साथ करेगी, अपराधकर्ताओं की सूची से नहीं।

यदि मैं भाग नहीं लेता/लेती हूँ, तो क्या इससे मेरी वीज़ा स्थिति या भावी आवेदन प्रभावित होंगे?

नहीं. भागीदारी स्वैच्छिक है तथा इसकी बहुत सराहना की जाएगी। यदि आप शोध परियोजना में भाग न लेना चाहें, तो आँकड़ों से आपका विवरण हटा दिया जाएगा तथा DIAC इस बारे में किसी प्रकार की जानकारी को दर्ज नहीं करेगा कि कोई व्यक्ति परियोजना में भाग ले रहा है या नहीं।

मैं इस अध्ययन में भाग नहीं लेना चाहता/चाहती हूँ। मैं क्या करूँ?

आपको DIAC को 30 **मई** 2010 तक ई-मेल करनी होगी. आपकी ई-मेल में आपका पूरा नाम, जन्मतिथि और पासपोर्ट सँख्या शामिल होनी चाहिए, ताकि आपको परियोजना में शामिल न करने के लिए हम आपके विवरण की पहचान कर सकें।

ई-मेल: diac.safety.research@immi.gov.au